number of steps to increase the production of steel in the country and encourage private sector investment in the steel industry:

(i) Iron and Steel has been removed from the list of industries reserved for the public sector; it has also been exempted from the requirements of compulsory licensing under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, subject to certain locational restrictions;

(ii) Iron and Steel sector has been included in the list of high priority industries. Such industries have the facility for Automatic approval of foreign investment in equity upto 51% ;

(iii) Customs duty on the imported scrap, the main raw material for the secondary sector, has been reduced from 35% to 10%, steps have also been taken to increase the production of sponge iron which is a partial substitute for scrap;

(iv) Control over pricing and distribution of steel has been dispensed with;

(v) A set of 'Guidelines for Entrepreneurs in Iron and Steel Industry' were issued in October, 1992. The guidelines provide entrepreneurs comprehensive information on the policy framework, demand projections, availability of essential raw materials, infrastructural facilities, possible locations, technological capabilities existing within the country, requirement of environmental clearance for Iron and Steel projects, etc;

(vi) The public sector integrated steel plants have also taken up modernisation and expansion programmes.

(c) Modernisation and expansion of Indian Iron and Steel Company (IISCO) with private participation to around 1.5 million tonnes per year of crude steel capacity is under consideration. The Government had constituted a Committee of Experts (COE) to explore and make recommendation for Private sector participation. The report of the Committee is expected in January, 1993. The modernisation of Rourkela and Durgapur Steel Plants for increasing achievable capacity of crude steel by 1.2 million tonnes is under implementation. The modernisation of Bokaro Steel Plant for increasing the liquid steel capacity by 0.42 million tonne is under consideration.

(d) There is no plan for expanding the capacity of Visakhapatnam Steel Plant.

Recruitment in Visakhapatnam Steel Plant

2943. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether any guidelines have been formulated for recruitment by Visakhapatnam Steel Plant;

(b) whether it is a fact that the local people are being discriminated in the matter of recruitment;

(c) if so, the details of recruitment made during 1991-92 and 1992-93; and

(d) the number of people recruited to various engineering categories till date during 1992 indicating the percentage of locals?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SANTOSH MOHAN DEV): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) During the period from January to November, 1992, 118 Graduate Engineers and 303 Diploma Engineers were recruited in Visakhapatnam Steel Plant. The percentage of local people recruited in Visakhapatnam Steel Plant is not available as statistics based on regional

origin of the employees are not maintained.

भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा संचालित खानें

2944. **श्री गया सिंह:** क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा संचालित भवनाथपुर चूना-पत्थर (आर०एम०डी०) और यंत्रीकृत खानों में उत्पादन कब आरम्भ हुआ;

(ख) क्या उपरोक्त यंत्रीकृत खानों में उत्पादन पिछले दो सालों से लगभग ठप्प हो गया है और वहां की मशीनों और नियोजित बारह सौ श्रमिकों के पास कोई काम नहीं रह गया है; और

(ग) क्या यंत्रीकृत खानों के अधिकतम प्रयोग हेतु उनके पुनः सकीर्यकरण की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) भवनाथपुर यंत्रीकृत चूना-पत्थर खान वर्ष, 1979 में चालू की गयी थी।

(ख) यह सच नहीं है कि नियोजित मशीनों और कामगारों के पास कोई काम नहीं है। भवनाथपुर की यंत्रीकृत खान में उत्पादन किया जा रहा है।

(ग) प्रौद्योगिकीय दृश्यलेख में परिवर्तन होने के कारण इस्पात संयंत्र लौह निर्माण तथा इस्पात निर्माण के लिए बेहतर ग्रेड के चूना-पत्थर की मांग कर रहे हैं जिसके कारण भवनाथपुर चूना-पत्थर खान से कम माल उठाया जा रहा है। इस स्थिति में, भविष्य में इस्पात संयंत्रों में भवनाथपुर के चूना-पत्थर के अधिक इस्तेमाल करने के आसार बहुत कम हैं।

बोकारो इस्पात संयंत्र के निकटवर्ती गांवों का विकास

2945. **श्री गया सिंह:** क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधीन बोकारो इस्पात संयंत्र के निकटवर्ती गांवों को विकसित करने हेतु क्या योजनाएं हैं;

(ख) संयंत्र प्रबन्धन द्वारा वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने हेतु स्थानीय और जिला प्रशासन को स्थायी तौर पर उपलब्ध कराये गये वाहनों की संख्या कितनी है;

(ग) उपरोक्त वाहनों पर प्रतिमाह कितना व्यय किया जाता है; और

(घ) उक्त इस्पात संयंत्र द्वारा बिहार सरकार के पुलिस कर्मियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को आवंटित विभिन्न श्रेणियों की आवासीय इकाइयों की संख्या कितनी-कितनी है और संयंत्र प्रबन्धन द्वारा इन आवासीय इकाइयों के रख-रखाव पर प्रतिमाह कितनी धनराशि व्यय की जाती है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अनुसार, बोकारो इस्पात संयंत्र के आस-पास के गांवों में चार आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने की योजना है:—

1. शिक्षा —स्कूल इमारतों का प्रावधान करके।
2. पीने का पानी —रिग बोर हैंड पम्पों, नए कुएं खोदकर तथा पुराने कुओं की मरम्मत करके।
3. यातायात —गांव की सड़कों का विकास कर।
4. स्वास्थ्य केन्द्र —स्वास्थ्य केन्द्र बनवाकर तथा चलते-फिरते (मोबाइल) चिकित्सा कैंपों के जरिए निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करके।

इसके अतिरिक्त, बेरोजगार युवकों तथा उनकी श्रमिक सहकारी समितियों को ठेके तथा कुक्कुट पालन आदि के माध्यम से स्वतः रोजगार प्रदान किया जाता है।

(ख) और (ग) बोकारो के जिला प्रशासन (पुलिस/दंडाधिकारी आदि) को दी गई गाड़ियों की संख्या 69 है तथा उस पर मासिक व्यय 4.90 लाख रुपये से 5.45 लाख रुपये होता है।